यह निरीक्षण आख्या अधिशासी, अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (उत्तर), देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी, अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (उत्तर), देहरादून के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक एवं श्रीमति हीना सलीम वरिष्ठ सम्प्रेक्षक द्वारा दिनांक 03.08.2016 से 18.08.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

1. इस कार्यालय कि विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.04.2014 से 24.04.2014 तक श्री बी.डी. सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखाः-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यरत समय अवधि	
		कब से	कब तक
1.	श्री आर.एल. एस. बिष्ट	01.04.2014	03.02.2015
2.	श्री डी.पी. पोखरियाल	04.02.2015	04.05.2015
3.	श्री एस.के. जैन	05.05.2015	10.06.2015
4.	श्री वी.बी. कोठियाल	11.06.2015	वर्तमान तक

(3) **विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति**

क्र.सं.	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष**	**भाग-दो(अ)**	**भाग-दो(ब)**	**STAN**
1.	15/2010-11	1,2	-	-
2.	60/2014-15	-	-	01
कुल योग		**02**	**-**	**01**

(1) सतत अनियमिततायेः- शून्य

(2) अप्रस्तुत अभिलेखः- बैलेसशीट वर्ष 2015-16

3. बजटः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**आयोजनेत्तर**		**आयोजनागत**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	541.13	374.78	460.31	460.31
2014-15	460.32	454.66	197.75	233.75*
2015-16	530.68	527.58	445.72	381.35

* आधिक्य व्यय विगत वर्षों के अवशेष से व्यय किया गया।

भाग - दो(अ)

प्रस्तर-1- शासन से प्राप्त निक्षेप धनराशियों को विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग करने की बजाय अनियमित रूप से जल संस्थान की आय-वृद्धि किया जाना, ₹ 56.43 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के शानादेश संख्या- 545/उन्तीस(2)/15-2(90 पे.)/2014 दिनांक 30.03.2015 के माध्यम से देहरादून शहर के उत्तरी क्षेत्र हेतु चार पेयजल योजनाओं के सुदृढीकरण कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान (कार्यदायी संस्था) को कुल ₹ 509.15 लाख प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृत प्राकलनों के अनुसार, हर वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत निर्माण कार्यों की लागत इन निक्षेप कार्यों पर देय 'विभागीय सुपरविजन/सैंटेज प्रभारों' व लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने वाले 'रोड़-कटिंग चार्जेज' के निम्नवत प्रावधान थेः

क्र. सं.	कार्य का नाम	निर्माण की लागत	सुपरविजन/ सैंटेज प्रभार	रोड़-कटिंग चार्जेज	कुल स्वीकृत लागत
1.	ग्राम लाडपुर स्थित शिवलोक कालोनी व मंगलूवाला में मिनी नलकूप का निर्माण	60.19	7.52		67.81
2.	सुंदरवाला में पाईप सुदृढीकरण का कार्य व नालापानी स्रोत में मरम्मत कार्य	137.25	17.16	38.51	191.53
3.	अधोई क्षेत्र में पाईप लाइन मरम्मत कार्य	129.52	15.73	45.24	190.49
4.	वाणी विहार (जैन कालोनी) में पाईप लाइन विस्तार कार्य	28.92	3.61	26.79	59.32
कुल योग		**355.88**	**44.02**	**110.54**	**509.15**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के उपरोक्त कार्यों के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच (08/2016) में पाया गया था कि शासन द्वारा इन कार्यों के सम्पादन हेतु माह जुलाई 2016 के अंत तक कार्यदायी संस्था को ₹ 309.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 188.36 लाख के व्यय/भुगतान किए गए थे। निष्पादित कार्यों के अंतर्गत, पाईप लाइन बिछाने से संबंधित ₹ 139.44 लाख की लागत के दो कार्यों को छोड़कर ['महाराणा प्रताप चौक से सुंदरवाला-ओखला तक' (लागत ₹ 103.51 लाख) व 'शिवलोक से नालापानी बूस्टर तक', लागत ₹ 35.93 लाख)] शेष सभी स्वीकृत कार्यों का निष्पादन पूर्ण किया जा चुका था। इन दो अवशेष कार्यों के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को

भुगतान किए जाने वाले रोड़-कटिंग चार्जेज की आगणित लागत क्रमशः ₹ 35.25 लाख व ₹ 8.46 लाख थी।

उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य स्वामित्व वाली सड़कों पर वाह्य एजेंसियों द्वारा किए जाने कार्यों हेतु संबंधित विभाग/प्रखण्ड की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है जो सड़क को होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु निर्धारित धनराशियों के जमा करने के उपरान्त ही प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया थी कि इस शाखा कार्यालय द्वारा पाईप लाइन बिछाने से संबंधित निष्पादित किए जा चुके कार्यों के सापेक्ष रोड़-कटिंग चार्जेज के रूप में लोक निर्माण विभाग को केवल ₹ 10.40 लाख का भुगतान (09/2015) किया गया था जबकि स्वीकृत प्राकलनों में उक्त की लागत ₹ 66.54 लाख (₹ 110.54 लाख - ₹ 43.71 लाख) थी। इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया था कि कार्यालय द्वारा इन निक्षेप कार्यों पर शासन से रोड़-कटिंग चार्जेज के नाम पर प्राप्त धनराशियों में से ₹ 56.43 लाख को विनिर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रयोग (लोक निर्माण विभाग के भेजा जाना) करने की वजाय अनियमित रूप से जल संस्थान की आय में वृद्धि की गई थी।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित के जाने पर शाखा कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया था कि प्राक्लन गठित करते समय सभी आवश्यक प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है जबकि कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार ही रोड़-कटिंग हेतु संबंधित विभाग को आवेदन किया जाता है। यदि कार्यस्थल की रोड पूर्व से ही क्षतिग्रस्त अवस्था में हो या रोड की पटरी से बाहर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो उस स्थिति में रोड-कटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया कि संधर्वित शेष कार्यों के लिए रोड़-कटिंग की स्वीकृतियों लेना आवश्यकता नहीं था। उत्तर अमान्य थे क्योंकि शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों के प्राक्लनों को वास्तविक तथ्यों/मांग पर आधारित होना आवश्यक होता है तथा शासन से विनिर्दिष्ट उद्देश्य (Specified Purpose) हेतु प्राप्त की गई निक्षेप धनराशियों को उन्हीं मदों पर व्यय किया जाना आवश्यक होता है।

अतः शासन से प्राप्त ₹ 56.43 लाख की निक्षेप धनराशि को विर्निदिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने की बजाय अनियमित रूप से जल संस्थान की आय-वृद्धि किए जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग - दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- दो स्वीकृत नलकूपों के निर्माण के सापेक्ष शासन की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त के बिना एकमात्र नलकूप के निर्माण पर अनियमित व्यय ₹ 45.46 लाख।

वित्तीय प्रावधानों में यह एक मूल सिद्धांत है कि किसी निर्माण कार्य को बिना सक्षम प्राधिकारी की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति (मूल अथवा पुनरीक्षित जैसा भी प्रकरण हों) प्राप्त किए बिना आरम्भ नहीं किया जा सकता है।

हालांकि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच (08/2016) में पाया गया था कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-545/उन्तीस(2)/15-2(90 पे.)/2014 दिनांक 30.03.2015 के माध्यम से देहरादून के लाडपुर स्थित 'शिवलोक कालोनी व 'मंगलूवाला' नामक स्थानों हेतु स्वीकृत (लागत ₹ 67.81 लाख) दो मिनी नलकूपों के निर्माण की बजाय केवल मंगलूवाला में एक पूर्ण नलकूप का निर्माण करवाया जा रहा था जिस पर लेखा परीक्षा तिथि तक ₹ 45.46 लाख का व्यय भारित किया जा चुका था।

कार्य की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि शाखा द्वारा स्वीकृत कार्य के इस स्कोप परिवर्तन (दो नलकूपों की बजाय केवल एक का निर्माण)हेतु न तो कोई सक्षम प्राधिकारी अर्थात शासन की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की गई थी और न ही उक्त हेतु शासन को कोई प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके अभाव में कार्य पर कियागया समस्त व्ययर₹ 45.46 लाख अनियमित सिद्ध होताहै। यह भी कि शासन की पुरनरीक्षित स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाए जा रहे इस अनियमित कार्य के लेखा परीक्षा प्रश्न पर शाखा द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

अतः शासन की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना दो स्वीकृत नलकूपों के सापेक्ष एकमात्र नलकूप के निर्माण पर किए गए ₹ 45.46 लाख के अनियमित व्यय का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग - दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- ब्याज की धनराशियों को शासकीय खाते में जमा न करना ₹ 20.54 लाख।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 99/2009(09/2009) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समेकित निधि से आहरित ऐसी धनराशियों जिन्हें किन्ही विशिष्ट कारणों से बैकों में से सावधिक जमा/बजत खातों के रूप में रखा गया हो, पर अर्जित ब्याज धनराशियों को राजकोष में लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियाँ - 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियों, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान (उत्तर), देहरादून के वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 की लेखा अभिलेखों की बैक पास बुक एवं ब्याज से संबंधित लेजर की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न जिला/राज्य योजना से प्राप्त निक्षेप की धनराशियों पर प्राप्त ब्याज की धनराशि ₹ 20.54 लाख को बैंक आफ बड़ौदा के खाता संख्या 98200100011306 में रखी गयी है। जबकि नियमानुसार धनराशि को शासकीय खातें में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा विभिन्न जिला/राज्य योजनाओं के बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज धनराशियों को शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र राजकोष राजकोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया था कि सामुहिक खाता होने के कारण शासनादेश एवं वेतन इत्यादि में सामुहिक ब्याज होने के कारण ब्याज की धनराशि जमा नहीं की जा सकी है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि ब्याज की धनराशियां प्रविष्टिया लेजर पुस्तिकाओं में दर्ज है जिन्हें तदानुसार ही राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

अतः ब्याज की धनराशियों ₹ 20.54 लाख को शासकीय खाते में जमा न करने का यह प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- 2 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध असमायोजित पड़ी विविध अग्रिमों की धनराशि ₹ 1.55 लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड VI) के पैराग्राफ 171 के अनुसार जिस अधिकारी/कर्मचारी को अस्थाई अग्रिम उपलब्ध कराया गया है वह अस्थाई अग्रिम की समस्त धनराशि अपनी अभिरक्षा में रखेगा और सदैव अस्थाई अग्रिम की समस्त धनराशि को बाउचर अथवा नकद रूप में प्रस्तुत करने को तैयार रहेगा साथ ही पैराग्राफ 172 में स्पष्ट प्रावधान है कि अस्थायी अग्रिम खाते यथासम्भव यथाशीघ्र बन्द कर दिये जाने चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उत्तर) देहरादून के अग्रिम संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सम्प्रेक्षा अवधि (07/2016) तक कर्मचारियों/अधिकारियों के अवरूद्ध ₹ 1.55 लाख की धनराशि वरूद्ध पड़ी हुई। विवरण निम्न हैः-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अग्रिम की तिथि**	**अग्रिम धनराशि (₹ में)**
1.	श्री विनीत रावत	कनिष्ठ अभियन्ता	03/2010	15,000.00
2.	श्री आर.पी. मंमगई	कनिष्ठ अभियन्ता	03/2010	35,823.00
3.	श्रीमति निलीमा गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता	03/2010	59,731.00
4.	श्री डी.आर. तिवारी	एस के		18,126.00
5.	श्री सुनील कुमार चावला	क्लर्क		1,000.00
6.	श्री नवीन कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता		10,000.00
7.	श्री संजीव भटनागर	कनिष्ठ अभियन्ता		12,000.00
8.	श्री संजय कुमार शर्मा	लेखाकार		4,000.00
योग				1,55,680

उपर वर्णित विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 01 से लेकर 03 तक अग्रिम प्रदान किये गये कर्मचारियों को 06 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात थी। धनराशि वसूल नहीं किया जा सकता है। जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध है जबकि अन्य शेष कर्मचारियों से भी अग्रिम की वसूली लम्बित है जो कि नियमानुसार अविलम्ब जमा किया जाने चाहिए था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समायोजित प्रेषित नहीं किया गया है एवं संबंधित को समोयाजन हेतु लिखा जा रहा है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि अग्रिम प्रदान की गयी धनराशि 01 वर्ष से लेकर 06 व्यतीत हो चुका है। जबकि समायोजन की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध असमायोजित पड़ी अस्थाई अग्रिम धनराशि ₹ 1.55 लाख की वसूली हेतु लम्बित रहने का यह प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों/आवासों से जल मूल्य, सीवर चार्ज की वसूली ₹ 91.62 लाख लम्बित रहना।

उत्तराखण्ड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफिकेशन संख्या 1265/उन्तीस(1)/2010-(03अधि.)/11- दिनांक 28.02.2011 (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक होता है। यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किया जाने का प्रावधान है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (उत्तर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की 03/16 की वसूली संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पया गया कि शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/भवनों से जलमूल्य, सीवर चार्ज की ₹ 91.62 लाख वसूली लम्बित पड़ी है। जबकि देयक उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किये 03 माह से लेकर 10 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। नियमानुसार कार्यालय द्वारा या तो विच्छेदन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी या संबंधित विभागों/आवासों से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु कार्यालय स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके फलस्वरूप ₹ 91.62 लाख राजस्व वसूली हेतु लम्बित पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि नोटिस निर्गत किये गये है तथा विभागों द्वारा धनराशि जमा कराने का आश्वासन दिया गया है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि बीजक की धनराशि विगत 03 माह से 10 वर्ष से ज्यादा समय से भी पुरानी है। नियमानुसार ऐसे प्रकरण में विभाग द्वारा विच्छेदन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

अतः शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों/आवासों से जल मूल्य, सीवर चर्ज की वसूली ₹ 91.62 लाख लम्बित रहने का यह प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **अधिशासी, अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (उत्तर), देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)